"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मई 2012—ज्येष्ठ 8, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-14/2012/वाक/पांच (30).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 8 के उप-नियम (5) में, शब्द एवं अंक "व्यापारी प्ररूप 6 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल किया जाएगा" के स्थान पर शब्द एवं अंक "व्यापारी प्ररूप 6 में इलेक्ट्रानिक पद्धति से विवरण फाइल करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) नियम 8 के उप-नियम (10) में, शब्द एवं अंक "व्यापारी प्ररूप 7 में विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल किया जाएगा" के स्थान पर शब्द एवं अंक "व्यापारी प्रारूप 7 में इलेक्ट्रानिक पद्धति से विवरण फाइल करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "व्यापारी प्रारूप-17 में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "व्यापारी प्रारूप-17 में इलेक्ट्रानिक पद्धति से विवरणी फाइल करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

(4) नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (ग) का लोप किया जाये।

(5) नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (एक) में, शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" एवं "साठ हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पचास हजार रुपये" एवं "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

(6) नियम 36 के उप-नियम (7) में, शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

(7) अध्याय-7 में, नियम 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"47. इलेक्ट्रानिक पद्धति से प्रतिदाय का भुगतान

जब किसी रकम के प्रतिदाय का निदेश किया जाने वाला कोई आदेश, किसी कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिया गया है, तो वह उक्त राशि के प्रतिदाय भुगतान हेतु प्ररूप 47 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आदेश जारी करेगा तथा ऐसा आहरण एवं संवितरण अधिकारी व्यापारी को भुगतान करने के लिए उक्त इलेक्ट्रानिक पद्धति से कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा। कोषालय अधिकारी ऐसी राशि का भुगतान व्यापारी को इलेक्ट्रानिक पद्धति से करेगा।

परन्तु कर निर्धारक अधिकारी ऐसी रकम के लिये जो किसी ऐसी रकम की कटौती करने के पश्चात् शेष रह गई हो, जिसके संबंध में धारा 25 की उप-धारा (5) के अधीन, कोई नोटिस जारी किया गया है या जिसका समायोजन नियम 48 के अधीन किया जाना है, प्ररूप 47 में व्यापारी को प्रतिदाय भुगतान आदेश जारी करेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित करेगा।"

(8) अध्याय-7 में, नियम 48 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"48. इलेक्ट्रानिक पद्धति से प्रतिदाय का समायोजन

(1) कर निर्धारक अधिकारी, प्रतिदाय योग्य राशि के समायोजन के लिये प्रतिदाय स्वीकृत किये जाने की तारीख से आगामी किसी अवधि की विवरणी अथवा विवरणियों के अनुसार देय कर की राशि के लिए प्ररूप 48 में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी कर सकेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा, जो इसे इलेक्ट्रानिक पद्धति से कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(2) यदि प्रतिदाय मंजूर करने के लिये सशक्त प्राधिकारी द्वारा धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, अधिनियम या निरसित अधिनियम अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का सं. 74) अथवा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) के अधीन शोध्य कर, शास्ति, ब्याज अथवा कोई अन्य राशि अथवा उसके किसी भाग की वसूली के संबंध में प्रतिदाय योग्य रकम अथवा उसके किसी भाग को उपयोजित करना अपेक्षित हो, तो वह ऐसी रकम के संबंध में एक प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा तथा इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा, जो इसे इलेक्ट्रानिक पद्धति से कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा।"

(9) अध्याय-7 में, नियम 49 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"49. इलेक्ट्रानिक पद्धति से देय कर के विरुद्ध प्रतिदाय का समायोजन

नियम 48 के अधीन किसी विवरणी के अनुसार समायोजन हेतु देय कर के भुगतान के किसी दावे के समर्थन में, व्यापारी प्रतिदाय समायोजन आदेश की एक प्रति, अधिनियम के अधीन अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का सं. 74) अथवा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ संलग्न करेगा"

(10) नियम 50 का लोप किया जायें।

(11) अध्याय–7 में, नियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"52. ब्याज भुगतान आदेश

जहां विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान के लिये नियम 51 के अधीन आदेश दिया गया हो, वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी व्यापारी को प्ररूप–49 में ब्याज भुगतान आदेश जारी करेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा जो इसे इलेक्ट्रानिक पद्धति से कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा। कोषालय अधिकारी व्यापारी को ऐसी राशि का भुगतान इलेक्ट्रानिक पद्धति से करेगा।"

(12) प्ररूप 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप 47
(नियम 47 देखिये)
प्रतिदाय भुगतान आदेश

रूपये.......................... (शब्दों में) रूपये.. से कम

व्हाउचर कमांक .... दिनांक ....

(केवल कोषालय के उपयोग के लिये)

प्रति,

कोषालय/उप–कोषालय अधिकारी

....

1. प्रतिदाय (वापसी) रूपये .... (शब्दों में) रूपये ....

श्री/मेसर्स.. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कमांक (टिन) .... के पक्ष में, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अंतर्गत .... मद में स्वीकृत की गई है।

2. श्री/मेसर्स.................................... को उपरोक्त उल्लेखित राशि प्रतिदाय (वापसी) पूर्व में नहीं किया गया है।

3. उक्त व्यापारी से संबंधित सुसंगत अभिलेख में सम्यक रूप से प्रतिदाय आदेश की प्रविष्टि मेरे हस्ताक्षर से की जा चुकी है।

4. कृपया श्री/मेसर्स .... को राशि रूपये ....(शब्दों में) रूपये ....व्यापारी के बैंक .... शाखा .... शाखा कोड .... के खाता कमांक .... में इलेक्ट्रानिक पद्धति से भुगतान कीजिये तथा शीर्ष ....में नामे लिखिये।

मुद्रा

तारीख.................. हस्ताक्षर ....

स्थान .... पदनाम...........................

....रूपये मात्र भुगतान करें"

(13) प्ररूप 48 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"प्ररूप 48
(नियम 48(1) देखिये)
वापसी समायोजन आदेश

रूपये.................................(शब्दों में) .... से कम

व्हाउचर क्रमांक ....   दिनांक ....

(केवल कोषालय/उप–कोषालय के उपयोग के लिये)

प्रति,

कोषालय/उप–कोषालय अधिकारी

....

1. प्रतिदाय (वापसी) रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... श्री/मेसर्स .... धारित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक (टिन) ....के पक्ष में, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अधीन......................... मद में स्वीकृत की गई है।

2. श्री/मेसर्स .... को उपरोक्त उल्लिखित राशि का प्रतिदाय (वापसी) पूर्व में नहीं किया गया है।

3. उक्त व्यापारी से संबंधित सुसंगत अभिलेख में सम्यक् रूप से प्रतिदाय आदेश की प्रविष्टि मेरे हस्ताक्षर से की जा चुकी है।

4. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम/छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन मुख्यशीर्ष ....तारीख .... से .... तक की कालावधि के लिए व्यापारी से शोध्य रूपये .... की राशि के संबंध में प्रतिदाय की राशि समायोजित की जाती है।

5. अतएव, कृपया रूपये ....(शब्दों में) रूपये .... की उक्त राशि शीर्ष .... में नामे लिखिये और उक्त राशि को, शीर्ष ....में जमा कीजिये।

मुद्रा

तारीख....................   हस्ताक्षर ....
                                                                  पदनाम..................................

प्रतिलिपि .... को अग्रेषित

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

(केवल कोषालय/उप–कोषालय के उपयोग के लिये)

(कोषालय/उप–कोषालय द्वारा प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करने वाले अधिकारी को वापस किया जाना।

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी/
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,

....

आपके प्रतिदाय समायोजन आदेश कमांक .... तारीख .... के अनुसरण में, उसमें दर्शित रीति में .... को राशि रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... समायोजित कर दिया है।

हस्ताक्षर..

कोषालय/उप–कोषालय अधिकारी..............

(14) प्ररूप 49 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप–49
(नियम 52 देखिये)
ब्याज भुगतान आदेश

रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... से कम

व्हाउचर कमांक .... दिनांक ....

(केवल कोषालय के उपयोग के लिये)

(जारी किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर शासकीय कोषालय में देय)

प्रति,

कोषालय/उप–कोषालय अधिकारी,

....

1. श्री/मेसर्स .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक (टिन) .... है, के कर निर्धारण अभिलेख के सन्दर्भ में .... से .... तक की कालावधि के लिए रूपये.......................... की राशि .... में प्रतिदाय (वापस) किया जाना अपेक्षित है/थी।

2. उक्त प्रतिदाय (वापसी) के भुगतान में ....कालावधि की देरी हुई है, और व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के अधीन .... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रूपये .... ब्याज का हकदार है।

3. विलंबित प्रतिदाय (वापसी) पर ब्याज के रूप में राशि .... रूपये की स्वीकृत की जाती है।

4. ब्याज के भुगतान के लिए पूर्व में कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और यह कि ब्याज के भुगतान के लिए इस आदेश के मूल अभिलेख में मेरे हस्ताक्षर से प्रविष्टि कर दी गई है।

5. कृपया .... को राशि रूपये .... (शब्दों में) रूपये व्यापारी के बैंक .... शाखा .... शाखा कोड .... के खाता क्रमांक .... में इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा भुगतान कीजिये तथा इसे शीर्ष .... में नामे लिखिये।

मुद्रा

तारीख .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... पदनाम ....

.... रूपये मात्र का भुगतान करें"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2012

क्रमांक एफ 10-14/2012/वाक/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2012/वाक/पांच (30), दिनांक 29-5-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th May 2012

NOTIFICATION

No. F 10-14/2012/CT/V (30).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) In sub-rule (5) of rule 8; for the words and figure "A dealer may file statement in form 6 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorized by the Commissioner. A company formed and registered under the Companies Act, 1956 shall compulsorily file the statement electronically." the words and figure "A dealer shall file the statement in form 6 electronically." shall be substituted.

(2) In sub-rule (10) of rule 8; for the words and figure "A dealer may file statement in form 7 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorized by the Commissioner. A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the statement electronically." the words and figure "A dealer shall file the statement in form 7 electronically." shall be substituted.

(3) In clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, for the words and figures "A dealer may file return in form 17 electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner. A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically" the words and figure "A dealer shall file the return in Form 17 electronically;" shall be substituted.

(4) Clause (c) of sub-rule (2) of rule 20 shall be omitted.

(5) In sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35, for the words "rupees fifteen thousand" and "rupees sixty thousand" the words "rupees fifty thousand" and "rupees two lac" shall be substituted, respectively.

(6) In sub-rule (7) of rule 36, for the words "rupees five lacs" the words "rupees two lac" shall be substituted.

(7) In Chapter-VII, for the rule 47, the following shall be substituted, namely:-

"47. Payment of refund electronically

When an order directing tne refund of any amount has been made by an assessing officer, he shall issue the order for refund of payment in Form 47 of the said amount to the drawing and disbursing officer and such drawing and disbursing officer shall send the same electronically to the treasury officer for payment to the dealer. The treasury officer shall make payment of such amount to the dealer electronically.

Provided that the assessing officer shall issue to the dealer a refund payment order in Form 47 for such amount as may remain after deduction an amount in respect of which a notice under sub-section (5) of section 25 has been issued or which has to be adjusted under rule 48 and sent to the drawing and disbursing officer."

(8) In Chapter-VII, for the rule 48, the following shall be substituted, namely:-

"48. Adjustment of refund electronically

(1) The Assessing Officer may issue a refund adjustment order in Form 48 for adjustment of the refundable amount towards the amount of tax payable according to the return or returns for any period following the date on which the refund is sanctioned and send to the drawing and disbursing officer who shall send it to the treasury officer electronically.

(2) If the authority empowered to grant a refund is required under sub-section (4) of section 39 to apply the refundable amount or part thereof towards the recovery of tax, penalty, interest or any other amount or part thereof due under the Act or the repealed Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) it shall issue a refund adjustment order in respect of such amount and shall send it to the drawing and disbursing officer who shall send it to the treasury officer electronically."

(9) In ChapterVII, for the rule 49, the following shall be substituted, namely:-

"49. Adjustment of refund against the payable tax electronically

In support of any claim for payment of tax payable according to any return by adjustment under rule 48, the dealer shall attach a copy of the refund adjustment order to such return to be furnished by him under the Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976)."

(10) Rule 50 shall be omitted.

(11) In Chapter-VII, for the rule 52, the following shall be substituted, namely:-

"52. Interest payment order-

Where an order for the payment of interest on delayed refund under rule 51 has been made, the sanctioning authority shall issue to the dealer an interest payment order in Form 49 and send to the drawing and disbursing officer who will send it to the treasury officer electronically. The treasury officer shall make payment of such amount electronically to the dealer."

(12) For Form 47, the following shall be substituted, namely:-

"FORM 47
(See Rule 47)
Refund payment order

(Under Rs. .... (in words) Rupees ....

Voucher No. .... Date ....

(for use in treasury only)

To,

The Treasury /Sub-Treasury Officer
....

1. A refund of Rs. ....in words) Rs. .... has been sanctioned in favour of Shri/M/s. .... Registration Certificate No. (Tin) .... under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 on account of ....

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s. ....

3. Entry of the order of refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.

4. Please pay to Shri / M/s. .... the sum of Rs. ....Rupees................................. (in words) electronically and credit the dealer's account no. .... bank ....branch .... branch code .... and debit to the head ....

Seal

Date .... Signature..................
Place .... Designation...............

Pay Rs..only"

(13) For Form 48, the following shall be substituted, namely:-

"FORM 48
[see rule 48(1)]
Refund Adjustment Order

Under rupees____________ (in words) rupees________________________

Voucher No.________ Date ___________

To,
The Treasury/ Sub-Treasury Officer,
____

1. A refund of Rs. __________ (in words)________________________ is sectioned under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in favour of Shri/ M/s. ________________________ holding Registration Certificate No. (Tin) _________________ on account of ___________

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s. ____.

3. Entry of the order of the refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.

4. The amount of refund is adjusted towards the amount of Rs.__________ due to the dealer under Chhattisgarh Value Added Tax Act/Central Sales Tax Act/Chhattisgarh Sthaniyam Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam major head ____________ pertaining to the period from ___________ to ____________________

5. Please therefore, debit the said sum of Rs.____________ (in words) ______________________________ to the head ______________ and credit the said sum to the head _________________________

Seal Signature ________________

Date _________ Designation ______________

Copy forwarded to ______________________________

Signature ________________
Designation ______________

(For use in the treasury/sub-treasury)

(To be returned by the treasury/sub-treasury to the officer issuing the refund adjustment order)

To,

The Commercial Tax Officer/

Assistant Commissioner of Commercial Tax

____

In pursuance of your refund adjustment order no. ___________ dated _________ the sum of Rs.___________ (in words) ____________ has been adjusted in the manner indicated therein on ____________

Signature ____________________

Treasury/sub-treasury officer_________________"

(14) For Form 49, the following shall be substituted, namely:-

"Form 49
(See Rule 52)
Interest payment order

(Under Rs.______________ (in words) Rupees ________________________

Voucher No.______ Date __________

(for use in treasury only)

(Payable at the Government Treasury within three months of the date of issue)

To,

The Treasury /Sub-Treasury Officer

....

1. With reference to the assessment record of .... bearing registration certificate No. (Tin) .... for the period from .... to .... an amount of Rs. .... was required to be refunded to ....
2. The payment of the said refund was delayed by a period of .... and the dealer is entitled to an interest of Rs. .... at the rate of .... percent per annum under section 39(5) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.
3. A sum of Rs. .... is sanctioned as the interest on the delayed refund.
4. No order for the payment of interest has previously been granted and that this order for payment of interest has been entered in the original record under my signature.
5. Please pay to .... the sum of Rs. .... (in figure) ....(in words) electronically and credit the dealer's account no. .... bank .... branch .... branch code .... and debit it to the head ....

Seal

Date .... Signature ....

Place .... Designation......................

Pay Rs..................................only"

By order and in the name of the Governor of Chhattisarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.